दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता तकसीम

डिक्री

दिनांक :— 06/02/2026

वादीगण की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री मांगीलाल सुथार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है:—

क. वादी सं. 1 सुनील कुमार पुत्र कृष्णलाल को प्राप्त भूमि:— खाता सं. 88/14 के प.नं. 38/268 (34) के किला नं. 16/1/0.084, 17/1/0.084, 18/3/0.025, तहसील पीलीबंगा के चक 15 एम ओ डी बी के 18/5/0.095 दक्षिण दिशा, 24/1/0.084, 25/1/0.084 कुल 0.456 हैक. नहरी अनकमाण्ड मय गैर मु. खाला भूमि वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं घोषित रकबा में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे।

ख. वादी सं. 2 विनोद कुमार पुत्र कृष्णलाल को प्राप्त भूमि:—तहसील पीलीबंगा के चक 15 एम ओ डी बी के खाता सं. 88/14 के प.नं. 38/268 (34) के किला नं. 19/1/0.120 दक्षिण दिशा की कुल 0.120 हैक. नहरी भूमि पर का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।घोषित रकबा में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे।

ग. वादी सं. 3 सुरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल को प्राप्त भूमि:— तहसील पीलीबंगा के चक 15 एम ओ डी बी के खाता सं. 88/14 के प.नं. 38/268 (34) के किला नं. 20/1/0.120 दक्षिण दिशा की कुल 0.120 हैक. नहरी भूमि पर का वादी सं. 3 को खातेदार

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.25 16:04:47 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार घोषित किया जाता है। घोषित रकबा में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे।

घ. प्रतिवादी रामप्यारी पत्नी कृष्णलाल को प्राप्त भूमिः— तहसील पीलीबंगा के चक 15 एम ओ डी बी के खाता सं. 88/14 के प.नं. 38/268 (34) के किला नं. 18/4/0.120 उत्तर दिशा, 19/2/0.120 उत्तर दिशा, 20/2/0.120 उत्तर दिशा की कुल 0.360 हैक. नहरी मय गैर मु. खाला भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रकमराज अलग कायम की जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 06/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.25 16:04:47 IST
Reason: SelfAttested